संख्या–902/उन्तीस(2)/17–2(213पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 21 जून,2017

विषय :– जनपद देहरादून के एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 क्षेत्रान्तर्गत इण्डिया मार्क–2 हैण्डपंपो के अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–480/अप्रै0अनु0–अप्रै0 हैण्डपंप/23 दिनांक 27 मई,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के इण्डिया मार्क–02 हैण्डपंपो के अधिष्ठापन वित्तीय वर्ष,2017–18 में संलग्न विवरणानुसार एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ की संस्तुति के क्रम में एस0सी0एस0पी0 के अंतर्गत 01 नग हैण्डपंप के अधिष्ठापन हेतु रू0 3.20 लाख एवं टी0एस0 पी0 के अंतर्गत 12 नग हैण्डपंपो के अधिष्ठापन हेतु रू0 42.67 लाख कुल 13 नग हैण्डपंप अधिष्ठापन हेतु लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि मे से रू0 45.87 लाख (रू0 पैतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) हैण्डपंपो का अधिष्ठापन अधिशासी अभियन्ता की निरीक्षण/संस्तुति के आधार पर अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति/अनुमोदनोपरांत अधिष्ठापित किया जायेगा।

(iii) हैण्डपंपों का अधिष्ठापन ऐसे स्थानो पर कदापि न किया जाय, जहॉ पर उसका स्थानीय जनता को पूर्ण लाभ प्राप्त न हों।

(iv) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(v) स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

(vi) व्यय करने से पूर्व उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक 4215–01–जलपूर्ति–102– ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–02– हैण्डपंपो का अधिष्ठापन– 35 – पूँजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान तथा अनुदान संख्या– 31 के लेखाशीर्षक 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलपूर्ति–102– ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम– 02 हैण्डपंपो का अधिष्ठापन– 35 पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1706301007(एस0सी0एस0पी0) H1706311005 (टी0 एस0पी0) 20 जून,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 183 /XXVII(2)/2017 दिनांक.. 19 जून,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 902 (1)/उन्तीस(2)/17–2(213पे0)/2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी; देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6–बजट निदेशालय, देहरादून।
7–वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव